न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 199 / 2024

अनवान : –

1. रहमत अली पुत्र महेन्दर जाति मिरासी निवासी सुरपुरा तहसील नोहर।

– सायल

बनाम्

1. महेन्दर पुत्र हेतराम जाति मिरासी निवासी सुरपुरा तहसील नोहर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
3. उप पंजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर।

–गैरसायलान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– 1. श्री संजय जोशी अधिवक्ता **सायल**
2. श्री महेशचन्द्र शर्मा अधिवक्ता **गैरसायल**

निर्णय

दिनांकः 26/08/2025

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा रोही मौजा दलपतपुरा तहसील नोहर के खाता स0 224 / 231 के ख0न0 336 / 6 की 1.9350 हैक्ट भूमि में से 154 / 645 हिस्सा भूमि अप्रार्थी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त भूमि पूर्व सायल के दादा के नाम दर्ज थी तथा सायल के दादा हेतराम की मृत्यु के बाद उसके जायज वारिस उसकी पत्नी जड़ाव व पिता महेन्दर के नाम से दर्ज हुई है और सायल की दादी जड़ाव की मृत्यु के बाद महेन्दर के नाम दर्ज हुई है। उक्त भूमि गैरसायल स0 1 के नाम बतौर कर्ता खानदान दर्ज है। उक्त भूमि पैतृक है जिसमें सायल का जन्मजात हक हिस्सा है। गैरसायल स0 1 उक्त भूमि में से कुछ भूमि मदनलाल पुत्र मघाराम व सावित्री पत्नी प्रताप को बैय कर दी है एवं शेष भूमि को भी रहन, बैय करने पर उतारू है जिससे प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी इसलिए अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे की वादग्रस्त भूमि को रहन / बैय व मुन्तकिल न करे एवं मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर रोही मौजा दलपतपुरा तहसील नोहर के खाता स0 224 / 231 के ख0न0 336 / 6 की 1.9350 हैक्ट भूमि में से गैरसायल स0 1 के नाम दर्ज 154 / 645 हिस्सा भूमि में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थीगण उक्त भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

अप्रार्थीगण को जरिये [illegible]। अप्रार्थी संख्या 1 ने जरिये अधिवक्त जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश [illegible] सायल व गैरसायलान मुस्लिम धर्म से शासित है तथा मुस्लिम विधि से श[illegible] विधि में कोई [illegible] र्थ राईट नही

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.08.29 11:24:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

होता है इसलिए वाद व प्रार्थना पत्र दोनो खारिज योग्य है अप्रार्थीगण को निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित नहीं है। इसलिए प्रार्थना पत्र काबिज खारीज है।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया की उक्त भूमि पूर्व सायल के दादा के नाम दर्ज थी तथा सायल के दादा हेतराम की मृत्यु के बाद उसके जायज वारिस उसकी पत्नी जड़ाव व पिता महेन्दर के नाम से दर्ज हुई है और सायल की दादी जड़ाव की मृत्यु के बाद महेन्दर के नाम दर्ज हुई है। उक्त भूमि गैरसायल स0 1 के नाम बतौर कर्ता खानदान दर्ज है। उक्त भूमि पैतृक है जिसमें सायल का जन्मजात हक हिस्सा है। गैरसायल स0 1 उक्त भूमि में से कुछ भूमि मदनलाल पुत्र मघाराम व सावित्री पत्नी प्रताप को बैय कर दी है एवं शेष भूमि को भी रहन, बैय करने पर उतारू है जिससे प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया की सायल व गैरसायलान मुस्लिम धर्म से शासित है तथा मुस्लिम विधि से शासित है इसलिए मुस्लिम विधि में कोई बाई बर्थ राईट नही होता है इसलिए वाद व प्रार्थना पत्र दोनो खारिज योग्य है अप्रार्थीगण को निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने एवं प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहूंचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत हको का निर्धारण मूल दावें के निर्णय में तय होने है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के हक अधिकारों की घोषणा मूल दावे में तय होना है।

प्रार्थी का कथन है कि उक्त भूमि गैरसायल स0 1 के नाम बतौर कर्ता खानदान दर्ज है। उक्त भूमि पैतृक है जिसमें सायल का जन्मजात हक हिस्सा है जबकि अप्रार्थीगण का कथन है कि सायल व गैरसायलान मुस्लिम धर्म से शासित है तथा मुस्लिम विधि से शासित है इसलिए मुस्लिम विधि में कोई बाई बर्थ राईट नही होता है। मुस्लिम विधि के अनुसार पुत्रों/पुत्रीयों का बाई बर्थ राईट नही होता है एवं प्रार्थी मुताबिक मुस्लिम विधि के अपने हक हिस्सा को पाने के अधिकारी है अतः अप्रार्थी को मुस्लिम विधि के अनुसार पाबन्द किया जाना उचित नही है। उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थी के पक्ष में साबित होता है न की प्रार्थी के जब प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थी के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है। अगर निषेधाज्ञा ताफैसला कन्फर्म की जाती है तो अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थी को होगी न की प्रार्थी को। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध नहीं है बल्कि अप्रार्थी के पक्ष में बखूबी

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.08.29 11:24:45 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
मोहर

साबित है। इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नही होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नही होने से दिनांक 02.08.2024 को जारी की गई अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 26/08/2025 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.08.29 11:24:45 IST
Reason: SelfAttested